न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी:– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 113/2022

दायर दिनाँक 01.04.2022

वादीया

1. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र उम्मदे सिह जाति राजपूत उम्र 29 वर्ष निवासी कलवानी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. कैलाश कंवर पत्नि उम्मेद सिंह
2. मुकेश कंवर पुत्री सुरेश सिंह
3. मनोहर सिंह पुत्र उम्मेद सिंह
4. रूघनाथसिंह पुत्र उम्मेद सिंह
5. राजेन्द्रसिंह पुत्र सुरेश सिंह
6. संदीप सिंह पुत्र सुरेश सिंह
7. सन्तोष कंवर पुत्री उम्मेद सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण कलवानी तह0 डीडवाना जिला नागौर राज0
8. तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री हरफुल राव वकील वादी।
2. श्री सुनिल कुमार मिश्रा वकील प्रति0 सं0 01 ता 07।

दिनाँक 06.06.2022

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है वाकै सरहद कलवानी पटवार हल्का कलवानी भू0 अभि0 नि0 डीडवाना में स्थित खेत खसरा सं0 351 रकबा 2.5900 हैक्टे0, खसरा सं0 63 रकबा 1.5200 हैक्टे0, खसरा सं0 67 रकबा 1.5400 हैक्टे0, खसरा सं0 146 रकबा 3.4600 हैक्टे0, खसरा सं0 16 रकबा 0.8700 हैक्टे0, खसरा सं0 181 रकबा 1.1700 हैक्टे0, खसरा सं0 226 रकबा 0.0600 हैक्टे0, खसरा सं0 373 रकबा 8.4600 हैक्टे0, खसरा सं0 56 रकबा 1.7800 हैक्टे0, खसरा सं0 66 रकबा 1.2500 हैक्टे0 है।

यह है कि उपरोक्त खेताय वादी पुष्पेन्द्र सिंह की पैतृक सम्पति है तथा संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, वादी ग्राम कलवाणी का स्थाई मूल निवासी है तथा कृषी कार्य करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिस पर निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार सींवे–नींवे मौजुद है।

यह है कि उपरोक्त खेताय में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की भूल से वादी का नाम पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह के स्थान पर कान सिंह पुत्र उम्मेद सिंह राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया। जब कि वादी का सही नाम पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह है। कानसिंह पुत्र उम्मेदसिंह नाम का कोई भी व्यक्ति नही है। उक्त खरसा नम्बरान की भूमि [illegible] प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि है। जो सदैव की कृषि भूमि रही वादी 10th की अंक तालिका, आधार कार्ड व पहचान–पत्र में सही नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:30:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है:–

यह है कि वाकै सरहद कलवानी पटवार हल्का कलवानी भू0 अभि0 नि0 डीडवाना में स्थित खेत खसरा सं0 351 रकबा 2.5900 हैक्टे0, खसरा सं0 63 रकबा 1.5200 हैक्टे0, खसरा सं0 67 रकबा 1.5400 हैक्टे0, खसरा सं0 146 रकबा 3.4600 हैक्टे0, खसरा सं0 16 रकबा 0.8700 हैक्टे0, खसरा सं0 181 रकबा 1.1700 हैक्टे0, खसरा सं0 226 रकबा 0.0600 हैक्टे0, खसरा सं0 373 रकबा 8.4600 हैक्टे0, खसरा सं0 56 रकबा 1.7800 हैक्टे0, खसरा सं0 66 रकबा 1.2500 हैक्टे0 की भूमि में कान सिंह पुत्र उम्मेदसिंह का नाम हटाया जाकर कानसिंह पुत्र उम्मेदसिंह के स्थान पर पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेदसिंह खातेदारी में इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किये जाने का आदेश सादर फरमावें। तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त कर वादी के नाम से खातेदारी में इन्द्राज किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। वाद में उपरोक्त वर्णित खसरान् में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कानसिंह पुत्र उम्मेदसिंह के स्थान पर पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेदसिंह किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद कलवाणी के खसरा सं0 351, 63, 67, 146, 16, 181, 226, 373, 59, 66 में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कानसिंह पुत्र उम्मेदसिंह के स्थान पर पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेदसिंह राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **06.06.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:30:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 113/2022

दायर दिनाँक 01.04.2022

वादीया

1. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र उम्मदे सिह जाति राजपूत उम्र 29 वर्ष निवासी कलवानी, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादी

1. कैलाश कंवर पत्नि उम्मेद सिंह
2. मुकेश कंवर पुत्री सुरेश सिंह
3. मनोहर सिंह पुत्र उम्मेद सिंह
4. रूघनाथसिंह पुत्र उम्मेद सिंह
5. राजेन्द्रसिंह पुत्र सुरेश सिंह
6. संदीप सिंह पुत्र सुरेश सिंह
7. सन्तोष कंवर पुत्री उम्मेद सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण कलवानी तह0 डीडवाना जिला नागौर राज0
8. तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 06.06.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हरफुल राव वकील वादी व श्री सुनिल कुमार मिश्रा वकील प्रति0 सं0 01 ता 07 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद कलवाणी के खसरा सं0 351, 63, 67, 146, 16, 181, 226, 373, 59, 66 में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कानसिंह पुत्र उम्मेदसिंह के स्थान पर पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेदसिंह राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत....................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 06.06.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकान चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:30:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner